प्रश्न पत्र III

ईकाई - III

खण्ड 'स'

विधि - [20 Marks]

- विधि की अवधारणा - स्वामित्व एवं कब्जा, व्यक्तित्व, दायित्व, अधिकार एवं कर्त्तव्य।

- वर्तमान विधिक मुद्दे -
  सूचना का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी विधि साइबर अपराध सहित (अवधारणा, उद्देश्य, प्रत्याशाएँ), बौद्धिक सम्पदा अधिकार (अवधारणा, प्रकार एवं उद्देश्य)

- स्त्रियों एवं बालकों के विरुद्ध अपराध -
  घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल श्रमिकों से सम्बन्धित विधि।

- राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियाँ -

(क) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

CONCEPTS OF LAW

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

Protection of women against sexual harrassment at workplace (Prevention, Prohibition and redressal) Act 2013
कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा (निषेध, रोकथाम, निवारण) अधिनियम 2013

→ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा व अवसर की समानता दी जानी चाहिए।

→ अनु. 14 सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है।

→ अनु. 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

→ अनु. 21 सभी नागरिकों को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार निहित है।

→ अनु. 19 के अन्तर्गत सभी नागरिकों को कोई भी व्यापार, पेशा या कारोबार करने की स्वतंत्रता है।

→ 1979 में UN Assembly द्वारा Elimination of all type of discrimination against women के सम्मेलन के प्रस्ताव को अपनाया गया। [CEDAW] (convention)

→ बाद में भारत द्वारा भी इस सम्मेलन को अपनाने की पुष्टि की गई।

* इसके अन्तर्गत महिलाओं को पुरुषों के समान मानवाधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य नागरिक अधिकार दिए जाने चाहिए।

उपरोक्त के आधार पर सुरक्षित कार्यक्षेत्र महिलाओं का कानूनी / संवैधानिक अधिकार है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ महिलाओं के विरुद्ध कार्यक्षेत्र पर यौन उत्पीड़न उनकी स्वतंत्रता एवं समानता का हनन माना जाता है।

☆ इस कानून का आधार Vishakha Guideline को माना जाता है।

20W
विशाखा गाइडलाइन

* 1992 में सामाजिक कार्यकर्त्ता भँवरी देवी द्वारा महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया था।

* उच्च वर्ग द्वारा इस कार्य से नाराज होने के कारण भँवरी देवी का सामूहिक बलात्कार किया गया।

* स्वास्थ्य, चिकित्सा और पुलिस सम्बन्धी अकरवाही के कारण सभी आरोपियों (5) को बरी कर दिया गया।

* इस मुद्दे पर विशाखा एवं अन्य द्वारा राजस्थान सरकार के विरुद्ध SC में PIL दायर की गई।

* 1997 में SC द्वारा माना गया कि वर्तमान कानून (IPC की धारा - 354 व 509) महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

* SC द्वारा नए व्यापक कानून की आवश्यकता बताई गई।

* कानून के बनने तक ऐसे विषयों पर शिकायतों का निवारण करने के लिए निर्देश दिए गए।

* इन निर्देशों को विशाखा Guidelines के नाम से जाना जाता है।

* इन निर्देशों के आधार पर 2013 में नया कानून बनाया गया।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

अधिनियम -

→ यह अधिनियम 9 Dec. 2013 ई. से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया।

→ इस अधिनियम में 8 अध्याय तथा 30 धाराएँ हैं।

Chapter No.	Name	Section
1	प्रारम्भिक	1 - 3
2	आन्तरिक शिकायत समिति का गठन	4
3.	स्थानीय " " " "	5 - 8
4.	शिकायत	9 - 11
5.	शिकायत की जाँच	12 - 18
6.	नियोक्ता के दायित्व	19
7.	जिला अधिकारी के अधिकार व शक्तियाँ	20
8.	विविध	21 - 30

→ यह अधिनियम <u>कार्यस्थल</u> पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।

* अर्थात् कार्यक्षेत्र पर निम्न सभी का उत्पीड़न इसके अन्तर्गत आता है :-

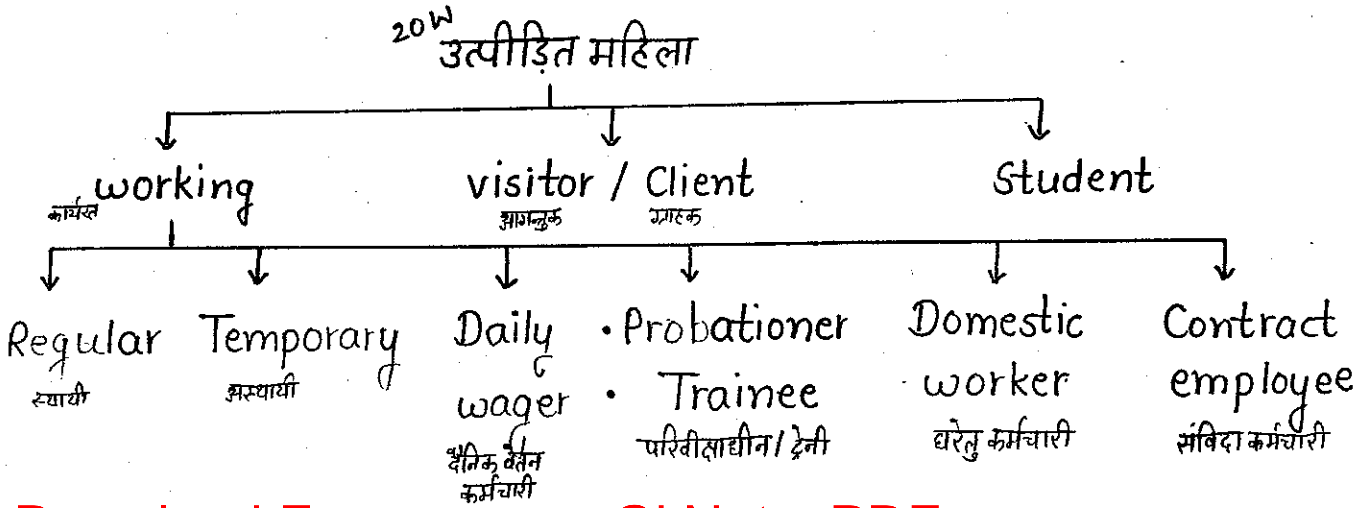

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

May → रहा
Shall → अनिवार्य

Exclusive
Inclusive → सम्मिलित है।

20W

workplace (कार्यक्षेत्र)

→ कार्यक्षेत्र में कार्य के सिलसिले में विजिट किया गया कोई स्थान, नियोक्ता द्वारा दिया गया वाहन (Taxi) आदि सम्मिलित है।

→ कार्य के सिलसिले में यात्रा करने पर वह स्थान भी सम्मिलित किया जाता है।

20W

यौन उत्पीड़न से अभिप्राय - यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

(1) शारीरिक सम्पर्क और अग्रिम कृत्य
(2) यौन सम्बन्धी टिप्पणियाँ
(3) यौन अनुग्रह की माँग
(4) मौखिक - गैर मौखिक, शारीरिक अवाञ्छनीय कृत्य
(5) अश्लील चित्रों या फिल्मों का प्रदर्शन
(6) रोजगार में विशेष व्यवहार के लिए स्पष्ट या अन्तर्निहित वादा
(7) रोजगार में हानिकारक व्यवहार की धमकी।
(8) शत्रुतापूर्ण वातावरण उत्पन्न करना, कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना
(9) अपमानजनक व्यवहार करना जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावित होती हो

(50W)

धारा - 4 आन्तरिक शिकायत समिति का गठन (ICC)

→ प्रत्येक नियोक्ता को कार्यस्थल पर एक आन्तरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है।

→ एक से अधिक कार्यक्षेत्र होने पर प्रत्येक कार्यक्षेत्र के लिए समिति का गठन अनिवार्य है।

→ समिति का गठन अग्रलिखित प्रकार से किया जाता है -

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

① समिति में किसी महिला को अध्यक्ष (Presiding officer) नियुक्त किया जाएगा। सामान्यतः सीनियर कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है।

② अध्यक्ष की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है।

③ समिति में 3 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें महिला / विधि / समाज कल्याण सम्बन्धी मुद्दों का ज्ञान हो।

* उपरोक्त 3 में से 2 सदस्य कर्मचारियों में से और 1 NGO से नियुक्त किया जाता है।

* उपरोक्त 3 में से 2 महिलाएँ होना आवश्यक है।

(50W)

धारा-5 स्थानीय शिकायत समिति का गठन (LCC)

→ राज्य सरकार द्वारा जिला अधिकारी की घोषणा की जाती है।

→ जिला अधिकारी द्वारा LCC का गठन किया जाता है।

→ समिति में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं।

→ महिला और बाल विकास अधिकारी इस समिति का Ex-officio सदस्य होता है।
(बैठक में भाग, निर्णय में भूमिका नहीं)

→ जिला अधिकारी द्वारा तहसील, block, ताल्लुका, नगरपालिका आदि स्तर पर Nodal अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।

→ Nodal अधिकारी शिकायतें स्वीकार करके उन्हें स्थानीय समिति को भेज सकता है।

(20W)

धारा-9 शिकायत

→ उत्पीड़ित महिला द्वारा, शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम होने पर उसके प्रतिनिधि द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है।

→ घटना के 90 दिन के अन्दर शिकायत करना अनिवार्य है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ सक्षम अधिकारी द्वारा इस अवधि को 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

→ शिकायत ICC के पास जमा करवाई जाती है।

→ यदि ICC के पास शिकायत करना सम्भव न हो तो LCC को शिकायत की जा सकती है।

e.g. (i) ICC का गठन न हुआ हो।

(ii) शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध हो।

→ शिकायत में समय, तिथि, घटना का ब्यौरा, आरोपी का नाम आदि होना आवश्यक है।

→ शिकायत लिखित में होनी चाहिए।

<u>धारा-10</u> समझौता

→ जाँच प्रक्रिया से पहले व्यथित महिला की प्रार्थना पर समझौता किया जा सकता है।

→ समझौता होने पर जाँच प्रक्रिया नहीं की जाती।

→ समझौते का आधार नकद क्षतिपूर्ति नहीं होना चाहिए।

→ समझौते की रिपोर्ट नियोक्ता और जिला अधिकारी को भेजी जाती है।

(50W)

<u>धारा-11</u> जाँच प्रक्रिया

→ शिकायत प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता को शिकायत प्राप्त होने की सूचना दी जाती है।

→ दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाता है।

→ समिति को सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। अर्थात् समिति किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करना, किसी व्यक्ति को summon भेजने का आदेश दे सकती है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ समिति द्वारा 90 दिन के अन्दर जाँच प्रक्रिया पूरी की जाती है।

धारा-13 जाँच पूरी होने के 10 दिन में नियोक्ता व जिला अधिकारी को रिपोर्ट दी/भेजी जाती है।

→ दोषी पाए जाने पर नियोक्ता के सेवा नियमों और इस अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत सजा दी जा सकती है।

→ वेतन में से क्षतिपूर्ति का आदेश भी दिया जा सकता है।

धारा-15 गलत शिकायत करने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

धारा-18 समिति के निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर 90 दिन में न्यायालय में अपील की जा सकती है।

Imp. (50 W)

धारा-19 नियोक्ता के कर्त्तव्य

1. महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करवाना
2. ICC का गठन
3. उत्पीड़न के परिणामों को विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित करना
4. अधिकारों की जागरुकता लाने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना
5. जाँच करने में समितियों की सहायता करना
6. यदि महिला भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत शिकायत दर्ज कराना चाहे तो उसे सम्भव सहायता प्रदान करना।

धारा-21 समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट नियोक्ता व जिला अधिकारी को भेजी जाएगी

धारा-26 नियोक्ता द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन न करने पर 50000 ₹ का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ सरकार या जिला अधिकारी द्वारा कम्पनी का पञ्जीकरण या लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

Section no.	Subject
1	क्षेत्र
2	परिभाषा
4	ICC का गठन
5	LCC का गठन
9	शिकायत
10	समझौता
11	जॉंच प्रक्रिया
13	रिपोर्ट, सजा, क्षतिपूर्ति
14	गलत शिकायत
18	सन्तुष्टि नहीं
19	नियोक्ता के कर्तव्य
21	वार्षिक रिपोर्ट
26	₹ 50000

सकारात्मक पहलू -

① यह अधिनियम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करता है।

② मूल अधिकारों के संरक्षण में सहायक है।

③ कार्यस्थ महिलाओं को अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाने में सहायक है।

④ महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है।

⑤ इससे भारत में कार्यरत महिलाओं का अनुपात बढ़ेगा (वर्तमान में 24 % है)

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

⑥ महिलाओं में रोजगार के प्रति आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

⑦ शिकायत समिति में 4 सदस्यों में से 3 महिला सदस्यों की उपस्थिति महिला शिकायतकर्त्ता को सहज वातावरण उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होगी।

⑧ IPC में जिन अपराधों के लिए सजा का प्रावधान नहीं है उस रिक्तता को भरने का कार्य किया।

नकारात्मक पहलू -

① कार्यस्थल पर पुरुषों के साथ अपराध किए जाने पर यह अधिनियम अप्रभावी है। अतः यह महिलाओं की ओर झुका है।

② शिकायत लिखित में दिए जाने का प्रावधान है जो अनपढ़ महिलाओं के लिए अनुकूल शर्त नहीं है।

③ छोटे संगठनों तथा ऐसे संगठन जहाँ महिला कर्मचारियों की संख्या कम है, में संगठन में आन्तरिक शिकायत समिति का गठन सम्भव नहीं हो पाता।

④ इस अधिनियम में नियोक्ता हेतु निर्दिष्ट सजाएँ पर्याप्त नहीं हैं।

⑤ इस अधिनियम में शिकायत समिति के कर्त्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

Protection of children from sexual offence act (POCSO Act)
बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम

→ संविधान के अनु. 15 के अनुसार बच्चों के लिए सरकार को विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है।

→ भारत द्वारा UN के convention on rights of children को अपनाया गया इस कारण बच्चों की सुरक्षा सरकार का संवैधानिक दायित्व है।

→ IPC में सभी प्रकार के अपराधों को शामिल नहीं किया गया था तथा वयस्क और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कोई भेदभाव नहीं किया गया था।

* अतः बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित करने के लिए यह विशेष अधिनियम पारित किया गया।

→ इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

① लैंगिक हमलों, अश्लील चित्रण, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा
② विशेष न्यायालयों की स्थापना
③ आनुषंगिक विषयों के लिए नियम बनाना (To make rules for related matters)

→ यह कानून 14 Nov. 2012 को लागू किया गया।
→ यह अधिनियम J & K को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है।
→ इस कानून में 8 अध्याय और 46 धाराएँ हैं।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

अपराध एवं सजाएँ

Section no.	crime	Section no.	Penalty
3	प्रवेशन लैंगिक हमला "rape"	4	7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास + जुर्माना
5	गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला by responsible	6	10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक + जुर्माना
7	लैंगिक हमला अनुचित स्पर्श	8	3 वर्ष से 5 वर्ष तक + जुर्माना
9	गुरुत्तर लैंगिक हमला	10	5 - 7 वर्ष कारावास + जुर्माना
11.	यौन उत्पीड़न अपशब्द	12.	3 वर्ष कारावास + जुर्माना
13	अश्लील चित्रण	14.	5 से 7 वर्ष कठोर कारावास + जुर्माना
15	बच्चों को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री का भण्डारण		3 Y का कारावास + जुर्माना

धारा - 16 अपराध के लिए उकसाने पर धारा - 17 के अन्तर्गत सजा सुनाई जा सकती है।

धारा - 19 इस अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को की जा सकती है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ पुलिस द्वारा शिकायत मिलने पर बाल कल्याण समिति को सूचना भेजी जाती है।

→ गलत शिकायत करने पर शिकायतकर्त्ता को 6 माह की सजा दी जा सकती है।

<u>धारा-21</u> यदि अपराधों की सूचना न दी जाए तो 6 माह की सजा या कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है।

<u>धारा-22</u> किसी संस्था के incharge द्वारा अपराध छुपाने पर 1Y की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

→ बच्चे के परिवार को धमकाने/बदनाम करने की धमकी देने पर 6 माह का कारावास व जुर्माना लगाया जा सकता है।

<u>धारा-23</u> मीडिया द्वारा बच्चे की पहचान या अन्य सूचनाएँ प्रकाशित नहीं की जा सकती।

→ अवमानना करने पर 6-12 महीने का कारावास व जुर्माना लगाया जा सकता है।

<u>धारा-24</u> बच्चे का कथन उसके निवास स्थान या उसके वाञ्छित स्थान पर महिला S.I. द्वारा साधारण वेशभूषा में लिया जाएगा।

→ बच्चे की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

<u>धारा-25</u> मजिस्ट्रेट द्वारा कानून के अन्तर्गत बच्चे का कथन लिखा जाएगा और उसकी एक प्रति बच्चे के माता-पिता को दी जाएगी।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

धारा-27 बच्चे की चिकित्सीय जाँच माता-पिता की उपस्थिति में ही की जाएगी।

→ यदि पीड़ित बालिका है तो केवल महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही जाँच की जाएगी।

धारा-28 राज्य सरकार द्वारा HC के CJ के परामर्श से Session court को विशेष Court घोषित किया जाएगा।

धारा-32 इन मुकदमों के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) नियुक्त किए जाएगें।

धारा-33 न्यायालय की कार्यवाही मित्रतापूर्ण होनी चाहिए।

→ बच्चे से आक्रामक प्रश्न नहीं पूछे जाएगें।

→ न्यायालय द्वारा गोपनीयता को बरकरार रखा जाएगा।

→ न्यायालय द्वारा शारीरिक और मानसिक आघात के बदले में बच्चे को क्षतिपूर्ति दिलाई जा सकती है।

→ कोर्ट की कार्यवाही 1Y में पूरी की जाएगी। मिठारी/ गिरधारी केस मुजफ्फरपुर केस

→ बच्चे से साक्ष्य 30 days में लिए जाना अनिवार्य है।

→ कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकोर्डिंग की जाएगी।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

Protection of women from domestic violence act 2005

→ इस अधिनियम का उद्देश्य परिवार के अन्दर घरेलु हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण देना और आनुषंगिक / सम्बन्धित विषयों पर कानून बनाना था।

→ यह Act J&K को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू होता है।

→ यह एक्ट 26 Nov. 2006 ई. को लागू हुआ।

→ इस एक्ट में 5 अध्याय व 37 धाराएँ हैं।

धारा- 3 घरेलु हिंसा में निम्नलिखित सम्मिलित है :- inclusive definition

(a) मौखिक दुर्व्यवहार

(b) शारीरिक दुर्व्यवहार

(c) यौन दुर्व्यवहार

(d) मानसिक प्रताड़ना / भावनात्मक दुर्व्यवहार

(e) गैर न्यायोचित वस्तु, सम्पत्ति, धनराशि आदि की माँग करना

(f) उपरोक्त बिन्दु में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष माँग तथा माँग पूरा न करने पर प्रताड़ित करना सम्मिलित है।

व्यथित महिला :-

आरोपी के साथ घरेलु सम्बन्ध रखने वाली महिला के साथ घरेलु हिंसा होने पर वह उत्पीड़ित महिला कहलाती है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों का उपयोग करने के लिए विवाह होना आवश्यक नहीं है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

धारा-8 संरक्षण अधिकारी

→ राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाएगें।

धारा-9 संरक्षण अधिकारी के कर्त्तव्य

1. शिकायत प्राप्त करना और उसे मजिस्ट्रेट तक पहुँचाना
2. चिकित्सा, परामर्श, आश्रय, कानूनी सहायता प्रदान करना
3. मजिस्ट्रेट के कार्यों में सहायता करना

धारा-10 सेवा प्रदाता

→ NGO या Society इस अधिनियम के अन्तर्गत सेवा प्रदाता के रूप में पञ्जीकरण करवा सकती है।

→ इनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए।

→ यह पीड़ित महिला तथा आरोपी को परामर्श देने और प्रक्रियात्मक सहायता करने का कार्य करते हैं।

धारा-11 सरकार के कर्त्तव्य

1. संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करना
2. अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना
3. विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय करना
4. जनता को जागरुक करने के लिए प्रचार करना

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

धारा-12 उत्पीड़ित होने या उत्पीड़न की आशंका होने पर मजिस्ट्रेट को शिकायत की जा सकती है।

→ यदि संरक्षण अधिकारी को शिकायत की जाती है तो मजिस्ट्रेट को शिकायत पहुँचाना उसका कर्त्तव्य होता है।

→ सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट, संरक्षण अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित को उसके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी।

→ निशुल्क विधिक सहायता का विकल्प दिया जाएगा।

→ शिकायत मिलने की तारीख से 3 दिन के अन्दर मजिस्ट्रेट द्वारा पहली सुनवाई की जाएगी।

→ पहली सुनवाई से 60 दिन के अन्दर केस का निस्तारण कर दिया जाएगा।

→ मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित या आरोपी या दोनों को सेवा प्रदाता से परामर्श लेने का निर्देश दिया जा सकता है।

→ कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

→ कार्यवाही के दौरान पीड़ित महिला को सांझे निवास से निष्कासित नहीं किया जा सकता।

धारा-18 संरक्षण का आदेश

→ मजिस्ट्रेट द्वारा निम्नलिखित को रोकने के आदेश दिए जा सकते हैं :-

(i) घरेलु हिंसा
(ii) घरेलु हिंसा में सहायता
(iii) पीड़ित के कार्यस्थल पर प्रवेश
(iv) पीड़ित के शिक्षास्थल पर प्रवेश
(v) पीड़ित से जबरदस्ती सम्पर्क करने का प्रयास

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

(vi) सम्पत्तियों का हस्तान्तरण
(vii) पीड़ित के रिश्तेदारों या सहायता करने वालों के साथ हिंसा करना
(viii) बैंक खाते या लॉकर का परिचालन करना

धारा-19 निवास का आदेश

① पीड़ित को घर से निष्कासित (evicted) करने पर रोक
② आरोपी को घर से बाहर रहने का निर्देश दिया जा सकता है।
③ घर बेचने या गिरवी रखने पर रोक लगाई जा सकती है।
④ आरोपी और उसके रिश्तेदारों को घर के जिस भाग में महिला निवास करती है, में जाने से रोका जा सकता है।
⑤ यदि महिला द्वारा समान सुविधा/स्तर वाले किराए के आवास का प्रयोग किया जाता है तो आरोपी को किराए की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है।

धारा-20 आर्थिक क्षतिपूर्ति

→ मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को पीड़ित महिला और बच्चों के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है।
→ इसमें दैनिक व्यय, चिकित्सा व्यय, आय की हानि आदि सम्मिलित है।

धारा-21 Custody orders (अभिरक्षण आदेश)

→ बच्चों की अभिरक्षा पीड़ित महिला और उसके रिश्तेदारों को दी जा सकती है।
→ आरोपी को बच्चों से न मिलने का आदेश दिया जा सकता है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

धारा-22 मानसिक प्रताड़ना के लिए क्षतिपूर्ति

→ न्यायालय द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है।

धारा-31 अभिरक्षण/आदेश का उल्लंघन
संरक्षण

→ न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर 1 Y का कारावास और आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है।

धारा-32 इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञानात्मक होते हैं अर्थात् आरोपी को सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है।

→ महिला का बयान पर्याप्त सबूत माना जाता है।
→ इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध गैर-जमानती होते हैं।

धारा-33 संरक्षण अधिकारी यदि अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से मना करता है या असफल रहता है तो 1 वर्ष का कारावास तथा ₹ 20000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन)

संशोधन अधिनियम 2016

Child labour (Prevention and regulation) amendment act 2016

→ भारत में बाल श्रम के निषेध एवं नियमन के लिए 1986 ई. में कानून पारित किया गया था।

→ इस अधिनियम के अन्तर्गत 2 प्रकार के प्रावधान रखे गए थे -

(i) निषेध (Prohibition)

* 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुछ विशेष व्यवसायों में कार्य करवाना निषेध था।

e.g. Automobile, powerlome etc.
(कपड़ा बनाना by बिजली)

* अर्थात् विशेष व्यवसायों को छोड़कर अन्य व्यवसायों में कार्य करवाने पर प्रतिबन्ध नहीं था।

(ii) नियमन (Regulation)

* 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों से श्रम करवाने पर कोई रोक नहीं थी अर्थात् 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए केवल काम करने की परिस्थितियों का नियमन किया जाता था।

→ 2009 ई. में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया जिसके अन्तर्गत सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार का वैधानिक दायित्व है।

→ अत: इस अधिनियम के परिणामस्वरूप बालश्रम संसोधन अधिनियम लाया गया।

→ इस अधिनियम में पूर्व के समान 2 प्रावधान रखे गए-

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

Q. Difference b/w 1986 & 2009 Act ? / संशोधन अधिनियम पहले से किस प्रकार बेहतर है।

(i) Prohibition -

* 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम करवाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है लेकिन यदि बच्चा अपने माता-पिता के व्यवसाय में उनका सहयोग करे या संगीत/सिनेमा उद्योग में कार्य करे तो इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

* लेकिन उपरोक्त के कारण बच्चे की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

(ii) Regulation -

* 14 वर्ष से बड़े बच्चों से कार्य करवाया जा सकता है लेकिन उन्हें खतरनाक उद्योगों में काम नहीं करवाया जा सकता।

* खतरनाक उद्योगों को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया। अतः ऐसे उद्योगों की घोषणा सरकार द्वारा की जाएगी।

* ऐसे बच्चों के काम करने की शर्तों/परिस्थितियों के नियम सरकार द्वारा बनाए जाएँगे।

Q. नए संशोधन अधिनियम के नकारात्मक प्रावधान बताइए।

<u>महत्वपूर्ण प्रावधान</u> -

① बच्चे से बालश्रम करवाने पर पहली बार माता-पिता को कोई सजा नहीं दी जाती लेकिन दुबारा अपराध में लिप्त पाए जाने पर 10000 ₹ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

② 1986 के कानून में बालश्रम करवाने पर 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास और 10000 से 20000 ₹ तक के जुर्माने का प्रावधान था।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

* संशोधन अधिनियम द्वारा कारावास को 6 महीने से 2 वर्ष तक का कर दिया गया तथा जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 20000 से 50000 ₹ तक कर दिया गया।

③ 15 से 18 वर्ष के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम करवाने पर भी उपरोक्त सजाओं का प्रावधान है।

④ राज्य सरकार द्वारा कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को विशेष शक्तियाँ दी जा सकती हैं।

⑤ सरकार को ऐसे स्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करने का अधिकार है जहाँ बालश्रम निषेध है।

→ इस अधिनियम के अन्तर्गत बाल श्रम पुनर्वास निधि की स्थापना की गई।

* इस निधि में बालश्रम से पीड़ित प्रत्येक बच्चे के लिए सरकार द्वारा 15000 ₹ की राशि जमा करवाई जाती है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

→ बुद्धि से उत्पन्न की गई ऐसी सम्पत्तियाँ जिनका मौद्रिक मूल्य होता है और भौतिक अस्तित्व नहीं होता, बौद्धिक सम्पदा कहलाती है।

बौद्धिक सम्पदा की विशेषताएँ -

① भौतिक अस्तित्व नहीं होता।

② इनकी उत्पत्ति, बुद्धि, कौशल, ज्ञान और पूँजी के प्रयोग से होती है।

③ इनका प्रयोग व्यावसायिक उत्पादन/लाभार्जन के लिए किया जा सकता है।

④ यह हस्तान्तरण योग्य होते हैं।

⑤ बौद्धिक सम्पदा अधिकार/कानून नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। क्योंकि यह अधिकार मुख्यतः अधिकारों के उल्लंघन पर सजा से सम्बन्धित होते हैं।

⑥ सभी बौद्धिक सम्पदा कानून एकाधिकार के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। अर्थात् यह बौद्धिक सम्पदा के जनक को संरक्षण प्रदान करते हैं।

→ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर WTO और WIPO के द्वारा बौद्धिक सम्पदा संरक्षण का कार्य किया जाता है।

(i) WIPO (World Intellectual property organisation)

* यह UN की विशेष एजेंसियों में से एक है।
* इसे UN द्वारा 1974 में मान्यता दी गई।
* HQ = स्विट्ज़रलैण्ड
* सदस्य = 191

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

* यह संस्था बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के लिए सरकारों के बीच सहयोग के लिए कार्यक्रम बनाने और क्रियान्वित करने का कार्य करती है।

(ii) TRIPS (Trade related Intellectual Property Rights)

* उरुग्वे Round के परिणामस्वरूप 1994 में WTO के अन्तर्गत TRIPS समझौता किया गया।

* इस समझौते के अन्तर्गत पहली बार WTO द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी नियम बनाए गए।

* इस समझौते में न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए जिन्हें प्रत्येक सदस्य देश द्वारा माना जाना अनिवार्य है।

* TRIPS में निम्नलिखित बौद्धिक सम्पदाओं को शामिल किया जाता है :-

(a) Patent
(b) Copyright
(c) Trade Mark
(d) Trade dress
(e) Industrial designs
(f) Integrated circuit designs
(g) New Plant varieties
(h) Geographical Indicators

(a) <u>Patent</u> -

→ नए आविष्कार के लिए आविष्कारकर्ता के एकाधिकार का संरक्षण Patent कहलाता है।

→ इसके अन्तर्गत आविष्कार से सम्बन्धित व्यावसायिक उत्पादन का अधिकार केवल वास्तविक आविष्कारकर्ता को ही होता है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ अन्य व्यक्तियों द्वारा आविष्कारकर्त्ता की अनुमति से व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है जिसके बदले में Patent holder द्वारा Royalty वसूली जाती है।

→ Patent प्रक्रिया और उत्पाद दोनों के लिए दिया जा सकता है।

Q. Patent देने का उद्देश्य ? एकाधिकार, लाभ ↑, नया आविष्कार ↑

Patent Act 1970

→ भारत में पैटेण्ट के पञ्जीकरण और संरक्षण के लिए पैटेण्ट अधिनियम 1970 को पारित किया गया।

→ इस अधिनियम में 1999, 2002, 2005 में संशोधन किए गए।

→ इस अधिनियम के अतिरिक्त पैटेण्ट नियम 2003 भी पैटेण्ट संरक्षण कानूनों का भाग है।

* अधिनियम लोकसभा, राज्यसभा और State Assembly द्वारा पारित किए जाते हैं।
* इनमें संशोधन भी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा द्वारा ही किया जा सकता है।

* नियम केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं।
* यह कानून के अनुपालन की प्रक्रिया से सम्बन्धित होते हैं।

e.g. Patent पञ्जीकरण प्रक्रिया
Patent पञ्जीकरण फॉर्म का प्रारूप etc.

* भारत में Patent की Evergreening पर रोक लगाई गई है।

* Patent के अनिवार्य लाइसेंस सम्बन्धी प्रावधान रखे गए हैं।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ जनता के लाभ के लिए सरकार द्वारा पेटेण्ट का अनिवार्य अधिग्रहण किया जा सकता है।

Evergreening of Patent -

* पेटेण्ट धारक द्वारा पेटेण्ट अवधि समाप्त होने से पूर्व, पेटेण्टेड वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया में आंशिक, नाममात्र का/मामूली परिवर्तन करके पुन: पेटेण्ट लेने का प्रयास Evergreening कहलाता है।

Compulsory License -

* पेटेण्ट धारक की अनुमति के बिना पेटेण्ट के व्यावसायिक उपयोग का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को देना अनिवार्य लाइसेंसिंग कहलाता है।
* अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है :-

(i) पेटेण्ट पञ्जीकरण को कम से कम 3 y का समय हो गया हो।

(ii) वास्तविक पेटेण्ट धारक जनता की माँग के अनुरूप आपूर्ति नहीं कर पा रहा हो।

(iii) जनता को वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध न हो।

(iv) आपातकालीन स्थिति होने पर भी अनिवार्य लाइसेंस दिया जा सकता है।

(v) अनिवार्य लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को Royalty का भुगतान करना होगा।

* रॉयल्टी की राशि Patent अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

Compulsory Acquisition -

* सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा पेटेण्ट धारक की अनुमति के बिना पेटेण्ट का अधिग्रहण करना अनिवार्य अधिग्रहण कहलाता है।

(b) Trade mark-

→ ऐसे निशान, प्रतीक, चित्र, Slogan जिनकी सहायता से एक व्यक्ति का उत्पाद/सेवा बाजार में अन्य उत्पादों और सेवाओं के बीच सरलता से पहचाना जा सके ; Trade Mark कहलाता है।

(c) Trade dress

→ उत्पाद की Packing जो ग्राहक को उत्पाद को पहचानने में सहायता करती हो, Trade dress कहलाती है।

☆ भारत में Trade mark & Trade dress के दुरुपयोग से संरक्षण देने के लिए Trade Mark Act 1999ई. बनाया गया है।

☆☆ 2010 ई. में इस कानून को संशोधित करके इसे Madrid Protocol (WIPO) के अनुरूप बनाया गया।

☆ यह प्रोटोकॉल Trademark की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा करता है।

* Trademark का दुरुपयोग करने पर भारत में 3Y का कारावास और 50000 से 200000 ₹ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

☆ Trade Secret (व्यापारिक रहस्य)

* व्यापार से जुड़ी ऐसी जानकारी जिसका प्रतिस्पर्धियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है और जिससे आर्थिक हानि होने की सम्भावना है, Trade Secret कहलाता है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

(d) Copyright -

→ यह अधिकार संगीत, सिनेमा, साहित्य, कला आदि के क्षेत्र में वास्तविक निर्माताओं के एकाधिकार को संरक्षित करता है।

→ वास्तविक निर्माता की अनुमति के बिना उसकी रचना को Copy करना, सार्वजनिक प्रदर्शन करना, पुनरुत्पादन करना आदि से संरक्षण दिया जाता है।

☆ Patent के अन्तर्गत विचारों को भी संरक्षण प्राप्त होता है जबकि Copyright विचारों का संरक्षण प्रदान नहीं करते।

→ भारत में वास्तविक रचनाकार को सम्पूर्ण जीवनकाल और मृत्यु के बाद 60 वर्षों तक संरक्षण (copyright) दिया जाता है।

Copyleft -

→ यदि वास्तविक रचनाकार जनता के लाभ के लिए अपनी रचना को copyright से मुक्त करता है। अर्थात् उसके पुनरुत्पादन, व्याख्या, सार्वजनिक प्रदर्शन आदि की अनुमति देता है तो यह copyleft कहलाता है।

→ यदि copyleft का प्रयोग करके नई रचना विकसित की जाए तो वह रचनाएँ भी कॉपीराइट से मुक्त होती हैं।

(e) Industrial design -

→ औद्योगिक उत्पादों को अद्वितीय पहचान देने के लिए प्रयोग की गई आकृति, रंग आदि औद्योगिक डिजाइन की श्रेणी में आते हैं।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ भारत में Industrial design 'डिजाइन अधिनियम 2000 ई.' के अन्तर्गत संरक्षित किए जाते हैं।

→ संरक्षण की अवधि 10 Y होती है जो 5 Y बढ़ाई जा सकती है।

e.g. car, bike

(f) Plant varieties -

→ भारत ने अनुसन्धान के द्वारा पौधों की नई किस्में विकसित करने वाले व्यक्तियों को 'पौध विविधता संरक्षण एवं किसान विकास अधिनियम 2001 ई.' के अन्तर्गत संरक्षण दिया जाता है।

→ इस अधिनियम में 15 वर्षों तक संरक्षण दिया जाता है।

Imp.
★ Tradition knowledge library -

→ यह योजना 2001 ई. में प्रारम्भ की गई।

→ इसके अन्तर्गत भारत के पारम्परिक बौद्धिक ज्ञान की सूची तैयार की गई जिसका उपयोग करके अन्य व्यक्तियों को इस ज्ञान का Patent करवाने से रोका जा सके।

(g) IC -

→ भारत में IC के डिजाइन के संरक्षण के लिए 'Semi conductor IC layout design act 2000 ई.' पारित किया गया।

(h) GI -

→ यदि किसी वस्तु/उत्पाद की गुणवत्ता/विशेषता उस भौगोलिक क्षेत्र के कारण हो जिसमें उनका निर्माण किया जाता है तो GI Tag के माध्यम से उस भौगोलिक क्षेत्र के निर्माताओं को उस उत्पाद के साथ भौगोलिक क्षेत्र का नाम जोड़ने का एकाधिकार दिया जाता है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ भौगोलिक संकेतकों का पञ्जीकरण 'भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 ई.' के अन्तर्गत किया जाता है।

e.g. (i) सांगानेरी प्रिण्ट

(ii) बगरु प्रिण्ट

(iii) मोलेला टेराकोटा

(iv) मकराना संगमरमर

(v) बीकानेरी भुजिया

(vi) कोटा डोरिया

(vii) कोटा डोरिया लोगो

(viii) कठपुतली

(ix) फुलकारी

(x) थेवा कला

(xi) ब्लू पॉटरी

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

सूचना का अधिकार

→ भारत में RTI Act 2005 ई. में पारित किया गया।

→ यह एक्ट J&K को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है।

→ यह एक्ट 6 अध्याय और 31 धाराओं में बँटा हुआ है।

① सूचना से अभिप्राय -

* किसी भी सरकारी विभाग, इकाई, मंत्रालय, संविधान के अन्तर्गत बनाए गए संगठन / लोक प्राधिकरण आदि से जानकारी ली जा सकती है।

* सरकारी कार्य कर रहे निजी संस्थानों से भी सूचना ली जा सकती है।

* अन्य निजी संस्थाओं से सम्बन्धित ऐसी सूचना जो लोक प्राधिकरण द्वारा किसी कानून के अन्तर्गत माँगी जा सकती है, वह सूचना भी इस अधिनियम में शामिल की जाती है।

* सूचना में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, आदेश, कम्प्यूटर में स्टोर सूचना आदि शामिल हैं।

② लोक अधिकरण (Public Authority)

* ऐसा प्राधिकरण / अधिकारी जिसे संसद / विधानमण्डल / सरकार द्वारा गठित किया गया हो।

* सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाएँ

Imp.
★ RTI -

→ यह अधिकार जनता को सरकारी कार्य को जाँचने, जानकारी प्राप्त करने, कार्यवाही करने का अधिकार देता है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए जाते हैं -

(i) सूचना माँगना

(ii) किसी रिकॉर्ड / आदेश / दस्तावेज की जाँच करना और प्रतिलिपि की माँग करना

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार

(iv) इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करना या प्रिंट आउट की माँग करना

सूचना के लिए आवेदन - (धारा - 6)

→ इस अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन लोक सूचना अधिकारी / सूचना अधिकारी को लिखित में देना आवश्यक है।

→ सूचना के साथ 10 ₹ की फीस जमा करवाना आवश्यक है।
(application)

→ BPL परिवारों को शुल्क जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है।

→ यदि आवेदक लिखित आवेदन करने में असमर्थ हो तो सूचना अधिकारी के द्वारा लिखने की व्यवस्था की जाएगी।

→ सूचना माँगने का कारण और आवेदक की निजी जानकारियाँ देना आवश्यक नहीं है।

शिकायतों का निपटारा (धारा - 7)

→ यदि सूचना आवेदनकर्ता विभाग से सम्बन्धित नहीं है तो आवेदन सम्बन्धित विभाग को भेजी जाएगी और आवेदक को सूचना दी जाएगी।

→ आवेदन प्राप्ति से 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान की जाएगी।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ यदि आवेदन सहायक सूचना अधिकारी को किया गया हो तो 35 दिन का समय लिया जा सकता है।

→ अन्य विभाग को आवेदन भेजने पर 95 दिन

→ यदि सूचना तीसरे पक्षकार से सम्बन्धित हो तो 40 दिन का समय लिया जाता है।

☆ यदि सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित हो तो 48 hours का समय दिया जाता है।

सूचना देने से छूट (धारा - 8 & 9)

(i) ऐसी सूचनाएँ जो देश की स्वतंत्रता, अखण्डता व सम्प्रभुता को प्रभावित कर सकती हों।

(ii) ऐसी सूचनाएँ जो विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त की गई हैं।

(iii) ऐसी सूचनाएँ जिन्हें साँझा करना न्यायालय की अवमानना हो।

(iv) यदि सूचना देना कानून के अन्तर्गत निषेध हो।

(v) यदि सूचना देना संसद या विधानसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो।

(vi) कैबिनेट चर्चाओं से सम्बन्धित सूचनाएँ

(vii) ऐसी सूचनाएँ जिससे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती हो।

(viii) ऐसी सूचनाएँ जो शासकीय गुप्त अधिनियम 1923 ई. के अन्तर्गत आती हैं।

(ix) ऐसी सूचनाएँ जो copyright का उल्लंघन हो [धारा - 9]

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

सूचना ना मिलने पर अपील करना - (धारा-19)

→ यदि नियमानुसार आवेदन देने पर सूचना न दी जाए या आवेदन निरस्त कर दिया जाए तो 30 दिन के अन्दर अपील अधिकारी को शिकायत की जा सकती है।

→ यदि अपील अधिकारी को शिकायत करने पर भी आवेदक सन्तुष्ट न हो तो 90 दिन के अन्दर सूचना आयोग को शिकायत की जा सकती है।

→ अपील अधिकारी को मामले को निपटाने के लिए 45 दिन का समय दिया जाता है।

जुर्माना (धारा-20)

→ यदि सूचना उपलब्ध न करवाई जाए या गलत सूचना उपलब्ध करवाई जाए तो सूचना अधिकारी पर 250 ₹ प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है।

→ max. जुर्माना 25000 ₹ तक हो सकता है।

लोक प्राधिकरण के दायित्व -

① सूचना अधिकारी नियुक्त करना

② अपील अधिकारी नियुक्त करना

③ सूचनाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त सूचना दी जा सके

④ विभिन्न माध्यमों से अधिकाधिक सूचनाएँ जनता को देना ताकि RTI अधिनियम की आवश्यकता कम से कम हो।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

साइबर क्राइम

→ सूचना प्रौद्योगिकी, इन्टरनेट, computer इत्यादि की सहायता से किए गए अपराध साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं।

→ साइबर क्राइम मुख्यत: अमेरिका से प्रारम्भ हुए लेकिन वर्तमान समय में यह एक वैश्विक समस्या है।

→ भारत साइबर क्राइम में विश्व में तीसरे स्थान पर आता है [1st → China
2nd → USA]

→ साइबर क्राइम को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इन अपराधों को रोकना सरल कार्य नहीं है।

→ अपराधियों द्वारा सामान्यत: अपनाई जाने वाली तकनीकें निम्नलिखित हैं :-

① HACKING -

* किसी computer की सुरक्षा को तोड़कर computer में अनाधिकृत प्रवेश करना, सूचनाओं और आँकड़ों को मिटाना व परिवर्तित करना Hacking कहलाता है।
* Hacking को Cracking भी कहा जाता है।
* अच्छे उद्देश्य से की गई Hacking, Ethical hacking कहलाती है।

② साइबर चोरी -

* यदि computer/ internet की सहायता से copyright का उल्लंघन करते हुए software, music, film आदि download की जाए तो यह Cyber theft कहलाता है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

③ CYBER STALKING

* किसी को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से अत्यधिक e-mail भेजना, social networking पर पीछा करना, online सन्देश भेजना आदि उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं।

④ Identity Theft -

* इस विधि में अपराधी पीड़ित व्यक्ति की पहचान से सम्बन्धित सूचनाएँ चुरा लेता है और इन सूचनाओं का दुरुपयोग करके पीड़ित व्यक्ति के बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड आदि का दुरुपयोग करता है।

⑤ PHISHING -

* इस विधि में अपराधी लुभावनी (luring) e-mail भेजते हैं और उसकी सहायता से username, password, जन्म तिथि आदि सूचनाएँ एकत्र करने का प्रयास करते हैं।
* संग्रहित सूचनाओं की सहायता से Bank A/c, credit card आदि का दुरुपयोग किया जाता है।
* इस विधि में सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए वह किसी वास्तविक संस्थान की वेबसाइट का क्लोन ही उपयोग करते हैं।

e.g. आयकर Refund के नाम से मेल भेजकर बैंक की सूचनाएँ प्राप्त करना

⑥ VISHING -

* इस विधि में अपराधी Voice over internet protocol तथा Phishing का मिश्रित उपयोग करते हैं।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

* पीड़ित को voice call करके संवेदनशील सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं और उनका दुरुपयोग किया जाता है।

⑦ <u>Cyber Squatting</u>-

* इस विधि में अपराधी किसी प्रसिद्ध संस्थान या प्रसिद्ध होने की सम्भावना वाले संस्थान के नाम से Web address / Domain name पञ्जीकृत कर लेते हैं।

* संस्थान के मालिकों से इस Domain name के लिए मुँहमाँगी कीमत वसूली जाती है।

अपराधी ↴
zombies

⑧ <u>Bot-networks</u>-

* इस विधि में अपराधी e-mail attachment के रूप में virus mail भेजते हैं जिसे Click करने पर computer में virus प्रवेश कर जाता है जिसकी सहायता से computer को Bot-network से जोड़ा जाता है और Remote Access की सहायता से कम्प्यूटर का दुरुपयोग किया जाता है।

⑨ <u>सेवा में गतिरोध उत्पन्न करना</u>-

* इस विधि में अपराधी पीड़ित व्यक्ति की नेटवर्क की गति/क्षमता (Band width) को दुरुपयोग करके समाप्त कर देते हैं या पीड़ित व्यक्ति के e-mail a/c को SPAM mail से भर देते हैं।

* इस कारण पीड़ित व्यक्ति internet या e-mail का प्रयोग नहीं कर पाता।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

(10) PIRACY -

* वास्तविक रचनाकार के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उल्लंघन (infringing) करने के उद्देश्य से उसकी रचना (संगीत, सिनेमा, software etc.) की प्रतिलिपि बनाना और वितरित करना Piracy कहलाता है।

(11) Cyber Defamation -

* इन्टरनेट के उपयोग/प्रयोग से किसी को बदनाम करने का प्रयास साइबर मानहानि कहलाता है।

* अपराधी द्वारा आपत्तिजनक सामग्री पीड़ित व्यक्ति के रिश्तेदारों को e-mail/message के माध्यम से भेजी जाती है या किसी website पर upload कर दी जाती है।

e.g. सामान्यतः कम्पनी द्वारा निकाले गए कर्मचारी, भूतपूर्व प्रेमी इस अपराध में लिप्त पाए जाते हैं।

(12) Website Defacement -

* अपराधियों द्वारा लक्षित संस्थान के Server तक अनाधिकृत पहुँच बनाई जाती है और संस्थान की website पर सूचना को बदल दिया जाता है या आपत्तिजनक सूचना Post कर दी जाती है जिससे लक्षित संस्थान को आर्थिक हानि व बदनामी का सामना करना पड़ता है।

(13) Internet relay Chats (IRC)

* यह एक Pvt. chat room की सुविधा है जिसका उपयोग गुप्त सन्देश भेजने के लिए किया जाता है।

e.g. दो आतंकवादियों के मध्य संवाद

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

(14) Salami Attack-

* इस विधि में अपराधी छोटी मात्राओं में परिवर्तन/कपट करते हैं।
* मात्रा छोटी होने के कारण यह अपराध आम आदमी की नजर से बच जाते हैं या पता लगने पर भी इनकी शिकायत नहीं की जाती।
* अपराध की राशि कम होती है लेकिन आधार बड़ा होता है।

e.g. देश के सभी नागरिकों से 1-1 ₹ का Fraud करना

(15) Pornography -

* यह internet या cyber world का सबसे पुराना और प्रचलित अपराध है।
* इसके अन्तर्गत internet का प्रयोग करके आपत्तिजनक सामग्री का प्रदर्शन या वितरण किया जाता है।
* अपराधियों द्वारा mouse click का दुरुपयोग करके विज्ञापन सम्बन्धी, virus आदि वितरित किए जाते हैं।

(16) Net Extortion -

* इस अपराध में अपराधी computer के माध्यम से गुप्त आँकड़ो व सूचनाओं तक पहुँच बना लेते हैं और इस सूचना को सार्वजनिक करने का डर दिखाकर पीड़ित व्यक्ति से वसूली (extored) की जाती है।

(17) Cyber threatning-

* e-mail / message के माध्यम से धमकी भरे सन्देश भेजना

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

(18) **Data Espionage -**

* इस अपराध में अपराधी द्वारा communication network को निशाना बनाया जाता है जिसकी सहायता से 2 लोगों के बीच हो रहे संवाद को बीच में ही प्राप्त किया जा सकता है। Block chain
Data encryption

(19) **Child abuse -**

* इन्टरनेट के माध्यम से बच्चों को उत्पीड़ित करना या उन्हें अपराधों में शामिल करने का प्रयास बाल उत्पीड़न कहलाता है।

(20) **Cyber spoofing-**

* अपराधियों द्वारा कम्प्यूटर की पहचान चुराई जाती है तथा कम्प्यूटर की पहचान का उपयोग करके नेटवर्क से जुड़ जाते हैं तथा उस कम्प्यूटर को प्राप्त विशेषाधिकारों व सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं।

साइबर क्राइम की चुनौतियाँ-

(1) साइबर क्राइम की प्रकृति गैर-स्थानीय होती है। अर्थात् किसी भी स्थान पर बैठकर विश्व में कहीं भी अपराध किया जा सकता है।

(2) अधिकतम मामलों में अपराधी देश की सीमा से बाहर स्थित होते हैं। अर्थात् उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना नहीं पकड़ा जा सकता।

(3) एक देश में अपराध की श्रेणी में आने वाले मामले अपराधी के देश में भी अपराध माना जाए ऐसा आवश्यक नहीं है।

(4) इन अपराधों का स्तर बहुत बड़ा होता है। अर्थात् एक साथ कई लोगों के विरुद्ध अपराध किया जा सकता है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

⑤ यह अपराध अन्य अपराधों के खतरे को कई गुना बढ़ा देते हैं।

e.g. सामुदायिक हिंसा
आतंकवाद
राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ etc.

⑥ अपराधियों द्वारा अन्य लोगों को अपराध की तकनीक साझा की जा सकती है।

⑦ अपराधी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों का कार्यवाही करना कठिन होता है।

⑧ सरकारी तंत्र/ सुरक्षा एजेंसी तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है।

साइबर अपराधों को रोकने के उपाय -

① क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक केंद्रीकृत प्रयास

② विभिन्न सरकारी विभागों को मिलाकर Task (Integrated) Force का गठन

e.g. पुलिस
कानून विभाग
विदेशी सम्बन्ध विभाग
तकनीकी विभाग etc.

③ इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं का सहयोग

④ अपराध की सम्भावित तकनीकों का पूर्व में पता लगाना

⑤ अपराधों को बढ़ावा देने वाली website & companies को बन्द करना

⑥ सरकारी एजेंसियों में तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति

⑦ सुरक्षित कम्प्यूटर तकनीकों का प्रयोग

e.g. Cloud computing
IPv 6 Protocol etc.

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर क्राइम के विरुद्ध किए गए प्रयास-

① 1990 ई. में UN में कम्प्यूटर अपराध कानूनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया।

② 1996 ई. में Council of Europe के द्वारा Canada, Japan, US आदि देशों की सहायता से computer अपराधों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि का प्रारूप तैयार किया गया।

③ 2001 ई. में Europe cyber crime convention को लागू किया गया

* इस convention में निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए -

(i) साइबर अपराधों को रोकना
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना
(iii) साइबर क्राइम को पहचानने के लिए नियम / शर्तें निर्धारित करना

④ 2002 ई. में OECD (Organisation for Economic co-operation & Development) द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की गई।

भारत में साइबर क्राइम को रोकने के लिए किए गए प्रयास -

① भारत में साइबर अपराधों से सम्बन्धित नियम पहली बार 2000 ई. में बनाए गए।

* इस वर्ष भारत में 'सूचना प्रौद्योगिकी विधि' पारित किया गया।

→ इस कानून के द्वारा भारत में डिजिटल हस्ताक्षरों को वैधानिक मान्यता दी गई।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ इस कानून में साइबर अपराधों के सम्बन्ध में एक अलग से अध्याय जोड़कर अपराधों को परिभाषित किया गया, दण्ड के प्रावधान बनाए गए और न्यायिक प्रणाली का विकास किया गया।

e.g. आपत्तिजनक सन्देश भेजना
चोरी किए गए कम्प्यूटरों की खरीद
अन्य व्यक्तियों के डिजिटल हस्ताक्षर, Password आदि का दुरुपयोग
साइबर आतंकवाद etc.

→ इस अधिनियम में साइबर आतंकवाद के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।

→ यह अधिनियम सरकारी एजेंसियों को किसी भी सूचना को monitor करने, Decrypt (Code word से सामान्य भाषा में बदलने) करने का अधिकार देता है।

→ इस अधिनियम के अन्तर्गत साइबर खतरों की अग्रिम पहचान और बड़े खतरों के समय कार्यवाही करने के लिए CERT के गठन सम्बन्धी प्रावधान बनाए गए।
CERT ↓ Central emergency response team

→ इस अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त बड़े शहरों में पुलिस विभाग द्वारा anti-cyber crime cell गठित की गई।

→ केरल और कुछ अन्य स्थानों पर साइबर अपराधों को रोकने के लिए Stop cyber crime army बनाई गई है।

→ साइबर कैफे और अन्य internet सेवाओं का उपयोग करने के लिए पहचान सम्बन्धी सूचनाएँ देना अनिवार्य बनाया गया।

→ साइबर कैफे का पञ्जीकरण अनिवार्य करने की सिफारिश की गई।

→ भारत में IPv 6 Protocol लाया गया।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ भारत की सुरक्षा/खुफिया एजेंसियों द्वारा Central Monitoring System (CMS) की स्थापना की गई जिसके द्वारा Realtime में किसी भी साइबर सूचना तक पहुँचा जा सकता है।

→ NCCC की स्थापना की गई।
↓
National cyber-security co-ordination centre

→ भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में Cryptology पर शोध करने के लिए Excellence centre की स्थापना की गई।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 ई.

यह अधिनियम निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित है-

① भूमि सम्बन्धी मामले
② राजस्व सम्बन्धी मामले
③ उपरोक्त मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक प्रक्रिया
④ राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियों व दायित्वों का निर्धारण
⑤ भू-राजस्व की वसूली सम्बन्धी प्रक्रिया
⑥ अन्य प्रासंगिक मुद्दे

राजस्व मण्डल-

→ राजस्व बोर्ड के गठन के प्रावधान धारा-4 में दिए गए हैं-

(i) राजस्व बोर्ड में 1 अध्यक्ष और min. 3 सदस्य आवश्यक है।

(ii) अधिनियम के अनुसार max. सदस्य 15 हो सकते थे।

* 2011 में अधिनियम में संशोधन करके सदस्यों की max. संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई।

नजुल भूमि-

→ नगरपालिका, पञ्चायत circle, गाँव, शहर या कस्बे की सीमा में स्थित ऐसी अबादी भूमि जिस पर सरकार का स्वामित्व हो, नजुल भूमि कहलाती है।

→ **राजस्व बोर्ड से सम्बन्धित प्रावधान -**

(i) राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थित है।

(ii) राजस्व बोर्ड के सदस्यों का max. कार्यकाल निर्धारित नहीं है। अर्थात् सरकार सदस्यों के कार्यकाल को निर्धारित कर सकती है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

(iii) राजस्व बोर्ड आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की माँग कर सकता है। लेकिन बोर्ड के कर्मचारी और रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

<u>राजस्व बोर्ड की शक्तियाँ</u>-

(i) राजस्व सम्बन्धी मामलों के लिए अपील, पुनर्निरीक्षण और निर्देशन देने के लिए राज्य स्तर पर यह सर्वोच्च संस्था है।

(ii) राजस्व बोर्ड द्वारा किसी मामले में मतभेद होने पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है।

(iii) इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी राजस्व मण्डल के अधीन होते हैं।

(iv) राजस्व मण्डल द्वारा किसी मामले को Bench को निर्देशित किया जा सकता है।

(v) आवश्यकता होने पर राजस्व बोर्ड महत्वपूर्ण मुद्दों को HC को निर्देशित कर सकता है।

(vi) विभिन्न राजस्व अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेज, रिकॉर्ड, रजिस्टर निर्धारित करना और उन्हें तैयार करवाना

(vii) राजस्व मण्डल की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में नियम निर्धारित करना

(viii) अध्यक्ष के पास कार्यों को विभाजित करने की शक्ति होती है।

→ प्रशासन की सहजता के लिए राज्य को निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों में बाँटा जाता है-

राज्य (State)
↓
सम्भाग (Division)
↓

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

जिला
↓
उपखण्ड
↓
तहसील
↓
उपतहसील

राजस्व न्यायालय और अधिकारी-

① राज्य स्तर पर-

(i) भू-प्रबन्ध आयुक्त (Settlement commissioner And Additional comm.) एवं अतिरिक्त आयुक्त

(ii) Director land records & Addi. director
भू- अभिलेख निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक

② सम्भाग स्तर पर -

→ सम्भाग स्तर पर आयुक्त व उपायुक्त नियुक्त किए जाते हैं।

③ जिला स्तर पर-

(i) जिलाधीश

(ii) भू - प्रबन्ध अधिकारी

(iii) अतिरिक्त ~~सदस्य~~ भू - अभिलेख अधिकारी

④ उपखण्ड स्तर पर-

(i) SDM / सहायक जिलाधीश

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

⑤ तहसील स्तर पर-

(i) तहसीलदार

(ii) नायब तहसीलदार (उप-तहसीलदार)

☆ राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके नए जिले, सम्भाग, तहसील आदि बना सकती है या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या उन्हें परिवर्तित कर सकती है।

राजस्व अधिकारियों के कर्तव्य व शक्तियाँ-

① भू-प्रबन्ध आयुक्त राज्य में सभी भूमि प्रबन्धन मामलों को निपटाने के लिए उत्तरदायी होगी।

② भू-अभिलेख निदेशक राज्य में सर्वेक्षण कराने, पुनः समीक्षा करने, भू-अभिलेख बनवाने और उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

③ भू-प्रबन्ध अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में भू-प्रबन्ध सम्बन्धी मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।

④ भू-अभिलेख अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में भू-अभिलेखों के लिए जिम्मेदार होगा।

अपील, निर्देश, पुनरीक्षण, पुनरावलोकन -

→ इस कानून के अन्तर्गत अपील को 2 भागों में बाँटा गया है-

(i) प्रथम अपील

(ii) द्वितीय अपील

(i) प्रथम अपील-

(a) तहसीलदार के आदेशों के विरुद्ध जिलाधीश को अपील की जा सकती है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

(b) राजस्व न्यायालय के आदेश के विरुद्ध भू-प्रबन्ध अधिकारी को आवेदन किया जा सकता है।

(c) जिलाधीश या भू-प्रबन्ध अधिकारी के आदेश के विरुद्ध भू-प्रबन्ध आयुक्त को अपील की जा सकती है।

(d) भू-अभिलेख अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील निदेशक को की जा सकती है।

(e) यदि राजस्व अपील अधिकारी नियुक्त हो तो SDO / SDM / DM आदि के विरुद्ध अपील उससे की जा सकती है।

(f) भू-प्रबन्ध आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सम्भागीय आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकरण आदि के विरुद्ध अपील राजस्व बोर्ड को की जा सकती है।

(ii) द्वितीय अपील -

→ प्रथम अपील के परिणाम के विरुद्ध द्वितीय अपील की जा सकती है।

(a) कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकरण को

(b) भू-प्रबन्ध अधिकारी के आदेश के विरुद्ध भू-प्रबन्ध आयुक्त को

(c) भू-अभिलेख अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध भू-अभिलेख निदेशक को

(d) भू-प्रबन्ध आयुक्त और राजस्व अपील प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध राजस्व मण्डल को

* निम्नलिखित दशाओं में अपील नहीं की जा सकती -

(a) ऐसे आदेश जिन्हें अधिनियम के अन्तर्गत अन्तरिम आदेश माना गया है।

(b) अन्तरिम आदेशों के विरुद्ध

(c) ऐसा आदेश जिसके द्वारा पुनरावलोकन, पुनरीक्षण के आदेशों को रद्द किया गया हो।

(d) परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में अपील की आज्ञा के विरुद्ध

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

Imp.

अपील करने के लिए समय सीमा

① कलेक्टर, भू-अभिलेख अधिकारी, भू-प्रबन्ध अधिकारी के आदेश की तिथि के 30 दिन में

② राजस्व अपील अधिकरण, भू-प्रबन्ध आयुक्त, भू-अभिलेख निदेशक के आदेश के 60 दिन में

③ राजस्व मण्डल के आदेश के 90 दिन के अन्दर

पञ्चायत सर्किल, निरीक्षण सर्किल आदि का निर्धारण-

तहसीलदार → DM; S.O. → S. comm.

→ अधिनियम के अनुसार भू-अभिलेख निदेशक राज्य सरकार की (Revenue Board) पूर्वानुमति से जिले के विभिन्न गाँवों को अलग-अलग पटवारी हलकों में व्यवस्थित कर सकता है।

पटवारियों की नियुक्ति-

* इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर द्वारा प्रत्येक हलके के लिए पटवारी की नियुक्ति की जाएगी।

* पटवारी द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं-

(i) वार्षिक रजिस्टर तैयार करना

(ii) अभिलेखों का रखरखाव करना और सुधार करना

(iii) हलके के सभी भूमिधारकों से राजस्व और अन्य माँगों की वसूली करना

गिरदावर कानूनगो-

* राज्य सरकार की अनुमति से भू-अभिलेख निदेशक एक से अधिक पटवारी सर्किल को मिलाकर जाँच सर्किल का गठन कर सकता है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

* कलेक्टर द्वारा प्रत्येक निरीक्षण सर्किल पर गिरदावर कानूनगो की नियुक्ति की जाती है।
* इसका मुख्य कार्य पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करना होता है।

सदर कानूनगो -

* जिला स्तर पर सदर कानूनगो की नियुक्ति की जाती है।
* इसकी नियुक्ति भू-अभिलेख निदेशक द्वारा की जाती है।
* यह पटवारी और गिरदावर कानूनगो के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं।

क्षेत्राधिकार का नाम	समाविष्ट क्षेत्र	अधिकारी	नियुक्ति
हलका	एक से अधिक गाँव	पटवारी	कलेक्टर द्वारा
निरीक्षण सर्किल	एक से अधिक पटवारी सर्किल	गिरदावर कानूनगो	"
जिला	एक से अधिक निरीक्षण सर्किल	सदर कानूनगो	भू-अभिलेख निदेशक

भूमि-

भूमि में निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) समस्त सड़कें
(ii) कोई भी ऐसी भूमि जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार न हो सरकार की भूमि मानी जाएगी।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

→ खान से खनिज निकालने का अधिकार सरकार का होगा।

→ नदी के पानी में मछली पालन का अधिकार सरकार का होगा।

→ नदी के पानी का सिंचाई में उपयोग राज्य का अधिकार होगा।

→ नदी में नाव चलाने का अधिकार सरकार का होगा।

☆ यदि कोई व्यक्ति कानूनी अधिकार के अतिरिक्त उपरोक्त कार्य करता है तो कलेक्टर द्वारा उस पर min. 1000 ₹ का जुर्माना लगाया जा सकता है।

* अनाधिकृत खनन करने पर 50 ₹ प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है।

→ सरकार समस्त भूमि पर राजस्व वसूल सकती है लेकिन सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ भूमियों को राजस्व से मुक्त घोषित किया जा सकता है

कृषि भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग-

→ कृषि भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने से पूर्व सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है।

→ सरकार द्वारा लिखित अनुमति देने के लिए नगर सुधार कर (urban assesment tax) और प्रीमियम वसूला जाता है।

→ यदि अनुमति के बिना उपयोग किया गया तो सरकार आरोपी को जमीन से बेदखल कर सकती है या अतिरिक्त जुर्माना लगा सकती है।

→ इन मामलों के विरुद्ध 30 दिन के अन्दर कलेक्टर को शिकायत की जा सकती है।

☆ उपरोक्त प्रावधान देवस्थान, वक्फ, चैरिटेबल ट्रस्ट पर लागू नहीं होते।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

भूमि पर अनाधिकृत कब्जा -

(i) अनाधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति को भूमि से बेदखल किया जाएगा।

(ii) यदि अनाधिकृत कब्जा करके भूमि पर कृषि की जा रही हो तो कृषि भूमि के किराए का 50 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है।

(iii) यदि एक बार बेदखल करने या जुर्माना लगाने के बाद पुनः अपराध किया जाता है तो 3 माह की जेल हो सकती है।

(iv) अनाधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों को तहसीलदार द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है।

(v) यदि निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाया जाता तो 1 माह से 3Y तक का कारावास दिया जा सकता है और 20000 ₹ का जुर्माना लगाया जा सकता है।

(vi) यदि राज्य सरकार का कोई अधिकारी जानबूझकर ऐसे अपराधों को न रोके तो 1 माह का कारावास और 1000 ₹ का जुर्माना लगाया जा सकता है।

(vii) सरकार द्वारा विशेष उद्देश्यों से भूमि आरक्षित की जा सकती है।

e.g. आबादी हेतु
सार्वजनिक उपयोग हेतु etc.

(viii) चारागाह की भूमि के उपयोग का अधिकार राज्य सरकार द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(ix) वन उत्पादों के उपयोग का अधिकार सरकार विनियमित करेगी। उल्लंघन करने वाले पर 1000 ₹ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अपराध जारी रहने पर 50 ₹/दिन जुर्माना लगाया जा सकता है।

(x) सड़क के किनारे उगे हुए वृक्षों, उनकी लकड़ी और उत्पादों पर सरकार का नियंत्रण होगा।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

Inspection and recording
सर्वेक्षण और अभिलेख कार्य -

→ सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अभिलेख और सर्वेक्षण का कार्य करवाया जा सकता है।

→ यह कार्य भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है।

→ इस कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

(i) खेतों का नक्शा और रजिस्टर तैयार करना

(ii) सीमा चिह्न लगाना

(iii) अधिकार अभिलेख तैयार करना

(a) **खेवट** -

→ सर्वेक्षण और अभिलेख कार्य के अन्तर्गत यह रजिस्टर बनाया जाता है।

→ यह एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें प्रत्येक भू-सम्पत्तिधारी, उसके सहभागी, उनके आसामी (Tenants) आदि तथा उनके हित और सीमाएँ लिखी जाती हैं।

(b) **खतौनी** -

→ इस रजिस्टर में जमीन पर खेती करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में सूचनाएँ दर्ज की जाती हैं।

(c) **माफी रजिस्टर**

→ इस रजिस्टर में ऐसी भूमियों का विवरण दिया जाता है जिन्हें राजस्व / लगान से मुक्त किया गया है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

भू-प्रबन्ध कार्य -

→ भू- प्रबन्ध अधिकारी द्वारा जिले के प्रत्येक गाँव के लिए वाजिब - उल - अर्ज या दस्तूर गांवाई का निर्माण किया जाता है।

* यह एक ऐसा विवरण है जिसमें स्थानीय निवासियों के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन होता है।

e.g. सिंचाई का अधिकार
रास्ते का अधिकार etc.

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

स्वामित्व

→ स्वामित्व किसी वस्तु पर विशेष वैधानिक अधिकार है जिसमें वस्तु को उपयोग करना, नष्ट करना, अन्य व्यक्तियों को उपयोग करने से रोकना आदि सम्मिलित है।

स्वामित्व की विशेषताएँ -

① वैधानिक अधिकार

② स्वामित्व आंशिक या पूर्ण हो सकता है।

③ स्वामित्व मृत्यु से समाप्त नहीं होता है। अर्थात् उत्तराधिकारियों को स्वामित्व प्राप्त हो जाता है।

④ स्वामित्व के बदले में सरकार द्वारा कर/शुल्क वसूला जा सकता है।

⑤ मानसिक रूप से अस्वस्थ/अक्षम तथा अवयस्क द्वारा स्वामित्व का उपभोग नहीं किया जा सकता।

स्वामित्व के प्रकार -

① Sole ownership (एकल) - एक व्यक्ति को 100% अधिकार

② Joint/Co-ownership - एक वस्तु पर एक से अधिक व्यक्तियों का अधिकार

③ Absolute (सम्पूर्ण) - बिना शर्त 100% स्वामित्व
* इसे निहित (Vested) स्वामित्व भी कहते हैं।

④ Contigent (सम्भावित) - भविष्य में किसी घटना पर निर्भर करने वाला स्वामित्व

⑤ Corporeal (मूर्त) - भौतिक वस्तुओं का स्वामित्व

⑥ Incorporeal (अमूर्त) - अभौतिक जैसे बौद्धिक सम्पदा का स्वामित्व

⑦ Trust (न्यास) - केवल वस्तु/सम्पत्ति के संरक्षण/रखरखाव का अधिकार

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

⑧ Beneficial (लाभकारी) - वस्तु का स्वयं के लाभ के लिए उपयोग का अधिकार

⑨ Legal right (कानूनी) - ऐसा अधिकार जिसे कानून के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो

⑩ Equitable (साम्यिक) - किसी अनुबन्ध, ऋण की शर्तों, अंश क्रय आदि के द्वारा स्थापित स्वामित्व

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

कब्जा

→ किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण और उस भौतिक नियंत्रण को बनाए रखने की इच्छा कब्जा कहलाती है।

→ कब्जा कानूनी और गैरकानूनी हो सकता है लेकिन सामान्यतः कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

→ कब्जा भूतपूर्व स्वामी की सहमति के बिना या उसकी सहमति से प्राप्त किया जा सकता है।

→ कानून द्वारा वैधानिक रूप से प्राप्त कब्जे का संरक्षण किया जाता है।

→ अन्य व्यक्ति के कब्जे में हस्तक्षेप अतिचार माँगा जाता है।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

व्यक्तित्व

→ कानून द्वारा अधिकार प्रदान करने और दायित्व निर्धारित करने के लिए एक इकाई / पहचान की आवश्यकता होती है जिसे व्यक्तित्व कहा जाता है।

→ व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं-

① **प्राकृतिक व्यक्ति** -

* मनुष्य को प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा में रखा जाता है।

② **कानूनी व्यक्ति** -

* इसे कृत्रिम व्यक्ति भी कहा जाता है। अर्थात् यह केवल कानून की दृष्टि में एक व्यक्ति या इकाई माने जाते हैं।

* इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता।

* यह व्यक्ति स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकते लेकिन प्राकृतिक व्यक्तियों के समान इनके अधिकार, दायित्व, सम्पत्तियाँ आदि हो सकते हैं।

* कृत्रिम व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं -

(i) **निगम** - कानून के अन्तर्गत निर्मित व्यक्तियों का समूह

e.g. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पञ्जीकृत कम्पनियाँ

(ii) **संस्था** - निगम को छोड़कर व्यक्तियों के अन्य समूह

e.g. University, साझेदारी संस्था etc.

(iii) **निधि / सम्पदा** - विशेष उद्देश्य से धन और सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिए बनाई गई संस्थाएँ

e.g. Mutual Fund

☆ हालांकि कम्पनी और मालिकों को 2 पृथक् व्यक्ति माना जाता है, इस कारण दोनों के अधिकार, सम्पत्तियाँ व दायित्व अलग-2 होते हैं।

* कम्पनी की जिम्मेदारियाँ स्वामियों से नहीं वसूली जा सकती लेकिन

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

यदि कम्पनी बनाने का उद्देश्य गैर-कानूनी कार्य करना हो तो कानून द्वारा मालिकों और कम्पनियों के बीच का अन्तर समाप्त करके दोनों को एक व्यक्ति माना जाता है।

* इसे lifting up of a corporate veil (कॉर्पोरेट पर्दा उठाना) कहते हैं।

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com

PDF Download From :- www.GkNotesPDF.com